



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06022024-251843
CG-DL-E-06022024-251843

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 471]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 5, 2024/माघ 16, 1945

No. 471]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 5, 2024/MAGHA 16, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2024

का.आ. 499(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्गा जिले में NH-173 के कि.मी. 104.00 से कि.मी.115.00 (कदुर होसदुर्गा खंड) के निर्माण (चौड़ीकरण/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग के.आर. सर्कल बेंगलुरु 560001 को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकृत किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्गा जिले में NH-173 के कि.मी. 104.00 से कि.मी.115.00 (कदुर होसदुर्गा खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: कर्नाटक			जिले का नाम: चित्रदुर्गा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: होसदुर्गा					
गांव का नाम: बोकिरे					
1	94/1	निजी	ड्राय	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
गांव का नाम: पीलापुरा					
2	32/7A	निजी	ड्राय	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
3	68	निजी	ड्राय	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
गांव का नाम: नीरगुंडा					
4	97	निजी	ड्राय	0.1391 (हेक्टेयर)	0.1391
गांव का नाम: एड्रिकाटे					
5	25	अन्य (गवर्नमेंट/प्राइवेट)	खराब/ड्राय	1.0338 (हेक्टेयर)	1.0338
गांव का नाम: जी मलाजी					
6	142/2	निजी	बेट	0.5002 (हेक्टेयर)	0.5002
7	149	अन्य (गवर्नमेंट/प्राइवेट)	खराब/ड्राय	0.0084 (हेक्टेयर)	0.0084
8	289/1	निजी	ड्राय	0.0385 (हेक्टेयर)	0.0385
9	289/2	निजी	ड्राय	0.026 (हेक्टेयर)	0.026
10	290/1	निजी	ड्राय	0.0095 (हेक्टेयर)	0.0095
11	290/3	निजी	ड्राय	0.0212 (हेक्टेयर)	0.0212
Total					1.8667

[फा. सं. RWNH-120371/14/2021-22/KNT LZone-III-I/3A]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th February, 2024

S.O. 499(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH-173 in the stretch of land from Km. 104.00 to Km. 115.00 (Kadur Hosadurga section) in the district of CHITRADURGA in the state of KARNATAKA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Special Land Acquisition officer National Highway K.R Circle Bengaluru 560001 in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from Km. 104.00 to Km. 115.00 (Kadur Hosadurga section) of NH-173 in the state of KARNATAKA

State: KARNATAKA			District: CHITRADURGA		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Hosdurga					
Village: Bokikere					
1	94/1	Private	Dry	0.02 (Hectare)	0.02
Village: Peelapura					
2	32/7A	Private	Dry	0.03 (Hectare)	0.03
3	68	Private	Dry	0.04 (Hectare)	0.04
Village: Neeragunda					
4	97	Private	Dry	0.1391 (Hectare)	0.1391
Village: Adrikatte					
5	25	Common (Government/Private)	Kharab/Dry	1.0338 (Hectare)	1.0338
Village: JI Malaji					
6	142/2	Private	Wet	0.5002 (Hectare)	0.5002
7	149	Common (Government/Private)	Kharab/Dry	0.0084 (Hectare)	0.0084
8	289/1	Private	Dry	0.0385 (Hectare)	0.0385

9	289/2	Private	Dry	0.026 (Hectare)	0.026
10	290/1	Private	Dry	0.0095 (Hectare)	0.0095
11	290/3	Private	Dry	0.0212 (Hectare)	0.0212
Total					1.8667

[F. No. RWNH-120371/14/2021-22/KNT LZone-III-I/3A]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.